49

न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय, जिला राजगढ़ ब्यावरा

रिवीजन नं. /12

R 2657-I/12

1- महराजबी पिता गजरा खां जाति मुसलमान
नि0 साहूखेड़ी तह. नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़
— आवेदिका

वि0 — रिवीजनकर्ता

1. सदरू खां पिता मुनव्वर खां जाति मुसलमान
2. मसावर खां पिता दिलावर खां मुसलमान
सभी नि0 ग्राम साहूखेड़ी तह. नरसिंहगढ़ //
3- नन्नूलाल पिता रामलाल जाति खाती
नि0 ग्राम निपान्याबेला तहसील नरसिंहगढ़
— अनावेदकगण (रेस्पा.)

महोदय,

पुनरीक्षण आवेदन अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राज. सं. 59

प्रस्तुत पुनरीक्षण पारित आदेश दिनांक 3.3.12 के आदेश से दुखी एवं असंतुष्ट होकर निम्न आधारों पर प्रस्तुत है:-

1/ यहकि आलोच्य आदेश विधि विधान के विपरीत है। मनमाने तरीके से पारित किया गया है। साक्ष्य का सही परिशीलन नहीं क्या गया है।

मूल रिकार्ड को नजर अंदाज किया गया है। एवं मनमाना आदेश पारित कर गंभीर वैधानिक भूल की है जोकि आदेश निरस्ती योग्य है।

2/ यहकि ग्राम निपान्याबेला खसरा नं. 201 रकबा 0.771 हेक. भूमि स्व. गजरा खां पिता मत्थे खां के नाम से थी, उनकी मृत्यु के उपरांत उनकी पुत्री महराज बी और रईसन बी के नाम होना थी। लेकिन तत्कालीन पटवारी द्वारा खसरा नं. 206 रकबा 0.215 व सर्वे नं. 258 रकबा 0.012 हेक. की भूमि का नामांतरण तो महराज बी एवं रईसन बी पिता गजरा खां के नाम से किया गया, लेकिन सर्वे नं. 201 रकबा 0.771 हेक. की भूमि को नाम बिना कोई रिकार्ड हुये बिना रजिस्ट्री हुये फर्जी तरीके से बाला-2 मनमाने रूप से तत्कालीन पटवारी बालाप्रसाद द्वारा नन्नूलाल पिता रामलाल खाती के नाम पर नामांतरण कर दिया एवं कब्जा भी उसी के नाम से दर्ज किया। जबकि सच्चाई यह है कि सर्वे नं. 201 रकबा 0.771 हेक. की भूमि गजरा खां द्वारा नन्नू पिता रामलाल खाती को कभी भी विक्रय नहीं की गई है। न कोई वसीयत की है [illegible] भूमि पर उसकी पुत्रियां महराज बी व रईसन बी [illegible]
[illegible] रिकार्ड में [illegible]

-तरीके से नामांतरण करके कब्जा भी दर्ज किया है जोकि निरस्ती योग्य है औरआपराधिक प्रकरण की श्रेणी में भीयह प्रकरण आताहै, ।

3/यह किसर्वेनं. 259 रकबा 0.721 हेक. एंव सर्वेनं. 277 रकबा 0.266हेक. कीभूमि गजराबाँ के नाम पर दर्जथी, उपरोक्त भूमि के वह एक मात्र स्वामी थे। क्योंकि उक्त भूमि पैत्रक नही थी एंव एक मात्र स्वामी गजरा बाँ थे, उनकीमृत्यु के बाद उनकी पुत्री मेहराजबी एंव रईसन बी कानाम उक्त भूमि पर दर्ज होनाथा। लेकिन तत्कालीन पटवारी बालाप्रसाद द्वारा गलत तरीके से रिकार्ड में हेराफेरा कर सर्वेनं. 259/2 रकबा0.102 कीभूमि का नामांतरण किया शेष भूमि का नामांतरण नहीकिया है। रिकार्ड मांगने पर पटवारी रिकार्ड उपलब्ध नही कराता है। स्पष्ट है कि उपरोक्त भूमि मेहराज बी, रईसन बी के नाम होनाथी, लेकिन केवल रकबा 0.102 हेक. भूमि कानामांतरणकिया है शेष भूमि रकबा 0.721 हेक. 0.266हेक. भूमि पर नामांतरण नही कियागया है। जबकि रिकार्ड में उपरोक्तभूमि गजरा के बाँ के नाम परदर्ज है। गजराबाँके नाम से ।। वैसे भूमि दर्जनही है। जबकियह पूर्ण भूमिके स्वामनी है। इस तरह सर्वे क्रं. 259 रकबा 0.721हेक. एंव 277 रकबा 0.266हेक. कीभूमि कीएक मात्र स्वामी मेहराज बी वरईसन बी हैउनके नाम पर नामांतरण होनाथा। प्रस्तुत प्रकरण में पर्याप्त दस्तावेज व साक्ष्य प्रस्तुत कीगईहै फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि करके नामांतरण नहीकिया हैइसलिये आलोच्य आदेश निरस्ती योग्य है।

प्रकरणमें पुनः सुनवाई के जाना न्याय हित में आवश्यक हैताकि पुनरीक्षणकर्ता को न्याय मिलसके ।

4/जबकि पारित आदेश में माननीय न्यायालय ने यह माना हैकि ग्राम साहूखेड़ी एंव निपान्याबेलास्थित शामलाती खाते के बंटवारे में आवेदिका का हित प्रभावित हुआहैजबकि आवेदिकाको बंटवारे के विरूद्ध संबंधित न्यायालय में अपील प्रस्तुत करनाचाहिये लेकिन माननीय न्यायालय ने पुनरीक्षण कर्ता के नामांतरणके विषय में मौन रहाहै, एंव नन्नूलाल पिता रामलाल खाती - द्वारा कोईदस्तावेज नही होनेके बादभी सर्वे क्रं. 201 रकबा 0.771 हेक.पर उसका नामदर्जहोना एंव कब्जा दर्ज होना माना है। जबकि उसके पास कोई रीजस्टर्ड दस्तावेज उपलब्ध नही है इसलिये आलोच्य आदेश निरस्तीयोग्य है।

5- अन्य प्रकरणके मुद्दे बहस के दौरान प्रस्तुत किये जायेगें ।

प्रस्तुत रिवीजन नियतसमय अवधि नकल प्राप्ती दिनांक 6.3.12 से अंदर म्यादमें प्रस्तुत है जिस परउचित न्यायशुल्क चस्पा किया है। जिसे सुनने का श्रवणाधिकारी माननीयन्यायालय कोप्राप्त है।

अतः माननीय महोदय से विनम्र निवेदन है कि प्रस्तुत रिवीजन स्वीकार की जावे एवं विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 3.3.2012 प्रकरण क्रमांक 5/बी-121/11-12 निरस्त किया जावे। और प्रकरण में मेहराज बी के नाम सर्वे नं. 201 रक्बा 0.771 हेक. भूमि ग्राम निपान्याबेला पर नामांतरण किये जाने के आदेश प्रदान होवे।

2-कि ग्राम साहूखेड़ी सर्वे नं. 259 रक्बा 0.721 हेक. एवं सर्वे नं. 277 रक्बा 0.266 हेक. भूमि पर भी मेहराज बी एवं रईसन बी का नामांतरण किये जाने के आदेश प्रदान होवे।

3-यह कि उपलब्ध रिकार्ड एवं फर्जी रिकार्ड के आधार पर नन्नूलाल पिता रामलाल खाती का जो कब्जा दर्ज किया है वह भी निरस्त करने के आदेश प्रदान होवे।

यही विनय है।

[redacted]

राजगढ़

दिनांक 2.4.12

[redacted] पुनरीक्षणकर्ता

द्वारा मेहराज बी पिता गजरा खां मुसलमान

नि0 ग्राम साहूखेड़ी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़//

================

R 2857-I/12 राजगढ़
भैरूलाल जी / सदानाबाई आदि

8.6.2017

आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। यह प्रकरण वर्ष 2012 से लम्बित है। दिनांक 31.7.2013 की पेशी पर आवेदक की ओर से श्री राम सेवक शर्मा अभिभाषक उपस्थित हुये हैं, तब से 4 वर्ष का समय व्यतीत होने के उपरांत भी कोई उपस्थित नहीं हुआ है। अतः प्रकरण के निराकरण में आवेदक के रूचि नहीं लेने से प्रकरण समाप्त किया जाता है।

अध्यक्ष

शाक्षेमुग्वा—355—फॉर्म्स—3-2-16—30,000 प्रपत्र.